प्रकरण संख्या 05/2024 ग्राम पंचायत मण्डियाना बनाम सरकार व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.08.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक भू.रू./ग्रामीण/औधो./2022/19/2022 दिनांक 11.03.2022 से ग्राम मण्डियाना की आराजी नंबर 2044/1701 रकबा 0.2276 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2046/1708 रकबा 0.2152 हैक्टर कुल रकबा 0.4428 हैक्टर अर्थात 4428 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. युनिट विरला वाईट सीमेन्ट ग्राम खरीया खंगार, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर को राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 9 के तहत संपरिवर्तन के आदेश दिये गये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.02.2024 को प्रस्तुत की गई है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए तथा उनकी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रूपान्तरण आदेश के विपरीत क्रेशर प्लान्ट संचालित हो रहा है, जिसे बन्द करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.07.2023 को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। क्रेशर प्लान्ट राजकीय विद्यालय मण्डियाना से मात्र 60 मीटर दूरी पर, रेल्वे लाईन से मात्र 20 मीटर दूरी पर स्थित है तथा पर्यावरण विभाग व अन्य विभाग से कोई अनापत्ति प्राप्त नहीं कर रखी है एवं ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय के रूपान्तरण आदेश से समस्त ग्रामवासी परेशान हैं तथा ग्राम पंचायत हितबद्ध व्यक्ति है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने आम रास्ते एवं अपनी रास्ते को समाप्त [illegible] अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ग्रामवासी अपनी [illegible] नहीं [illegible] पा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट [illegible] प्रस्तुत करने [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि उक्त रूपान्तरण नियमानुसार ही किया गया है। उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं होकर केवल धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त अपील का श्रवणाधिकार आप न्यायालय को नहीं है। विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी की होकर उनके द्वारा नियमानुसार रूपान्तरण करवा गया है, जिससे अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2076 से 2077 में विवादित नंबर 2044/1701 रकबा 0.2276 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2046/1708 रकबा 0.2152 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है, जिसके रूपान्तरण बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नाथद्वारा से जांच रिपोर्ट एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2016 के नियम 9 के तहत संपरिवर्तन के आदेश जारी किये गये हैं, जिससे हम अपीलान्ट को किसी प्रकार से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः अपील द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 11.03.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested